

लो.से.गा. अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित 446 सेवाओं की सूची

| क्र | विभाग | आधिसूचित सेवा का नाम | समय सीमा कार्य दिवस शहरी/ग्रामीण |
|-----|--------------------|--|--|
| 1 | उर्जा विभाग | 1.1- निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है। | U- 10 R- 16 |
| 2 | | 1.2- मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना। | U- 10 R- 14 |
| 3 | | 1.3- अ- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग पत्र जारी करना। ब- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा.तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना | U- 4 R- 4 U- 3 R- 3 |
| 4 | | 1.4- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना। | U- 7 R- 7 |
| 5 | | 1.5- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत निम्न दाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना। | U- 7 R- 7 |
| 6 | | 1.6- निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जाँच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/ बदलना। | U- 22 R- 37 |
| 7 | | 1.7- निम्नदाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण । | U- 30 R- 30 |
| 8 | | 1.8- निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों की श्रेणी (केटेगरी) में परिवर्तन। निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति। | U- 15 R- 21 U- 07 R- 10 |
| 9 | | 1.9- उच्चदाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेंशन लेटर) प्रदान करना। | U- 7 R- 30 |
| 10 | | 1.10- उच्चदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शन के भार में करने की स्वीकृति पत्र (सेंशन लेटर) प्रदान करना। | U- 7 R- 30 |
| 11 | | 1.11- (अ)निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति। (ब) उच्चदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति। | U- 7 R- 10 U- 15 R- 15 |
| 12 | | 1.12- सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान करना। | U- 15 R- 60 |
| 13 | | 1.13- कॉलोनी के बाह्य विद्युतिकरण के प्राक्कलनों की प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति। | 10000 KVA से अधिक 45 10000 KVA से कम 30 |
| 14 | | 1.14- बहुउपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतिकरण के प्राक्कलनों की स्वीकृति। | 10000 KVA से अधिक 45 10000 KVA से कम 30 |
| 15 | | 1.15- विद्युत अधोसंरचना संबंधित प्राक्कलनों की स्वीकृति। | 30 |
| 16 | | 1.16- अ. मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना । ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना | U-5 R-10 |
| 17 | | 1.17- विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर) | U-5 R-10 |
| 18 | | 1.18- बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना | U-2 R-4 |
| 19 | | 1.19- 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं के रेखा चित्र का अनुमोदन (भुगतान के पश्चात) | 7 |
| 20 | | 1.20 - 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging Permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात) | 7 |
| 21 | श्रम विभाग | 2.1- प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। | U- 10 R- 10 |
| 22 | | 2.2- विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। | U- 15 R- 15 |
| 23 | | 2.3- मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। | U- 30 R- 30 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 24 | 2.4- निर्माण श्रमिकों का पंजीयन। | U- 30 R- 30 |
| 25 | 2.5- निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना। | U- 30 R- 30 |
| 26 | 2.6 - दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन। | 30 |
| 27 | 2.7- दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण। | 30 |
| 28 | 2.8- संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय। | 30 |
| 29 | 2.9- संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय। | 30 |
| 30 | 2.10- संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना। | 30 |
| 31 | 2.11- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6,7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना। | 30 |
| 32 | 2.12- (क) कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया। | 30 |
| 33 | 2.13- वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण। | 15 |
| 34 | 2.14- कारखानों से स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण। | 15 |
| 35 | 2.15 - अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना। | 30 |
| 36 | 2.16- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना। | 30 |
| 37 | 2.17- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय। | 30 |
| 38 | 2.18- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन। | 30 |
| 39 | 2.19- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण। | 30 |
| 40 | 2.20- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना। | 30 |
| 41 | 2.21- खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 की धारा 9 से पठित नियम 3 के अंतर्गत खतरनाक मशीन के विनिर्मातों/व्यापारियों को नवीन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण जारी किया जाना। | 30 |
| 42 | 2.22- बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय। | 30 |
| 43 | 2.23- बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण। | 30 |
| 44 | 2.24- खिलाडी प्रोत्साहन योजना 2014 | 30 |
| 45 | 2.25- औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना | 30 |
| 46 | 2.26- व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना 2013 | 30 |
| 47 | 2.27- निर्माण स्तर पर कार्य के दौरान अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014 | 30 |
| 48 | 2.28- व्यवसायिक (UGPG) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना | 30 |
| 49 | 2.29- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना | 30 |
| 50 | 2.30- राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना | 30 |
| 51 | 2.31- साइकिल अनुदान योजना 2014 | 30 |
| 52 | 2.32- संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदाय किया जाना। | 30 |
| 53 | लाक 3.1- विभागीय हेण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार। | 7 |
| 54 | स्वास्थ्य यांत्रिकी 3.2- विभागीय हेण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हेण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार। | 15 |
| 55 | 3.3- पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना। | 15 |
| 56 | राजस्व विभाग 4.1- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना। | 30 |
| 57 | 4.2- चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय। | 5 |
| 58 | 4.3- चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय। | 15 |
| 59 | 4.4- भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय। | 15 |
| 60 | 4.5- भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय। | 45 |
| 61 | 4.6- वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में) (अ.) रूपये 30 हजार तक के प्रकरण। (ब) रूपये 50 हजार तक के प्रकरण। (स) रूपये 2 लाख तक के प्रकरण। | 30 |
| 62 | 4.7- नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र। | 30 |
| 63 | 4.8- शोद्य क्षमता प्रमाण-पत्र। | 30 |

| | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 64 | | 4.9- राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/ अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार का प्रदाय करना। | 15 |
| 65 | | 4.10- अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भूअभिलेख/ राजस्व प्रकरणों/ नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना। | 15 |
| 66 | | 4.11- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न अपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना। | 30 |
| 67 | | 4.12- बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटोकन/ तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय। | 30 |
| 68 | | 4.13- भूमि का सीमांकन करना | 30 |
| 69 | | 4.14- अविवादित नामांतरण करना | 30 |
| 70 | | 4.15- अविवादित बंटवारा करना | 90 |
| 71 | | 4.16- म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरांत, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुन निर्धारण किया जाना | 30 |
| 72 | नगरीय विकास | 5.1 (अ) जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना। (ब) मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना। | 15 |
| 73 | | 5.2- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र) | 30 |
| 74 | | 5.3- नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार | 7 |
| 75 | | 5.4- पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना | U- 10 R- 05 |
| 76 | | 5.5- कॉलोनाइजर लायसेंस | 30 |
| 77 | | 5.6 (1) कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले-आउट) (2) कॉलोनी विकास अनुज्ञा (आंतरिक विकास) | 60 30 |
| 78 | | 5.7 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र | 30 |
| 79 | | 5.8 फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई (2) नवीनीकरण | 60 30 |
| 80 | | 5.9 ट्रेड लाइसेंस | 1 |
| 81 | | 5.10 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण (वृक्षों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके व्ययन) की अनुज्ञा अभिप्राप्त करना। | 30 |
| 82 | | 5.11 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त वनोपज के लिए अभिवहन पास | 30 |
| 83 | | 5.12 म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के अंतर्गत अभिन्यास अनुमोदन | 60 |
| 84 | | 5.13 भूखंडों का विलयन तथा विभाजन का अभिन्यास अनुमोदन | 30 |
| 85 | | 5.14 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 (3) में संशोधन का अभिन्यास अनुमोदन | 90 |
| 86 | 5.15 विकास अनुमति के लिए समय सीमा का विस्तार | 30 | |
| 87 | 5.16 निवेश क्षेत्र के बाहरस्थित क्षेत्रों में व्यपवर्तन प्रकरणों में अनापत्ति | 30 | |
| 88 | सामान्य प्रशासन | 6.1- कानूनी बाधता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। | 7 |
| 89 | | 6.2- कानूनी बाधता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना। | 3 |
| 90 | | 6.3- जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना | 30 |
| 91 | | 6.4- राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय। | 3 |
| 92 | सामाजिक न्याय | 7.1- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना | 15 |
| 93 | | 7.2- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बाद स्वीकृति एवं प्रदाय करना। | 15 |
| 94 | | 7.3- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बाद स्वीकृत एवं प्रदाय करना। | 15 |
| 95 | | 7.4- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना। | 15 |
| 96 | | 7.5- राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना। | U- 30 R- 30 |
| 97 | | 7.6- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय। | 15 |
| 98 | | 7.7- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह ब) गैर- सामूहिक विवाह | U- 15 R-15 |
| 99 | | 7.8- मुख्यमंत्री निकाह योजना | 15 |
| 100 | | 7.9- मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना | 15 |
| 101 | | 7.10- निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना | 15 |

| | | | |
|-----|--|---|---------------|
| 125 | | 10.2- वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान | 7 |
| 126 | | 10.3- वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान | 30 |
| 127 | | 10.4- मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। (1) डिपो से काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण । (2) पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण। | 45 30 |
| 128 | | 10.5 काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना। (1) शासकीय काष्ठगार हेतु (2) काष्ठ के पंजीकृत हेतु (3) भूमि से प्राप्त काष्ठ हेतु | 3 10 30 |
| 129 | गृह विभाग | 11.1 मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रति प्रदाय किया जाना। | 30 |
| 130 | | 11.2- स्टेशन हाऊस ऑफिसर द्वारा फारियादी का एफ.आई.आर. की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति पदाय किया जाना। | 7 |
| 131 | | 11.3- लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण। | 15 |
| 132 | | 11.4- लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण। | 45 |
| 133 | | 11.5- शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति का प्रदाय करना। | 45 |
| 134 | | 11.6- मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना। | 7 |
| 135 | | 11.7- मेला/प्रदर्शनी/खेल कार्यक्रम के लिए एनओसी | 7 |
| 136 | | 11.8- सिनेमा की स्थापना के लिये एनओसी | 15 |
| 137 | | 11.9- डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात) | 7 |
| 138 | | 11.10- स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र(प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रय का न हो) दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र | 7 |
| 139 | | 11.11- अस्थायी यात्रा लाइसेंस प्रदान किये जाने बावत आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात) | 7 |
| 140 | | 11.12- मोबाइल सामग्री गुम होने की सूचना की पावती | 7 |
| 141 | | 11.13- चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 3 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो) | 5 |
| 142 | | 11.14- हथियार के सेवक की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद) | 30 |
| 143 | | 11.15- शस्त्र लाइसेंस में सेवक का नाम जोड़ना/ हटाना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद) | 30 |
| 144 | | 11.16- मृत्यु के बाद, हथियारों की बिक्री / स्थानांतरण की अनुमति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद) जिला दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत | 7 |
| 145 | 11.17- मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण | 7 | |
| 146 | लाक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 12.1- राज्य बीमा सहायता निधि के अधीन रूपये- 2.00 लाख के प्रकरण जिला स्तरीय से स्वीकृत किया जाना। | 10 |
| 147 | | 12.2- विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना। | 15 |
| 148 | | 12.3- दैनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना। | 7 |
| 149 | | 12.4- राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना। | 30 |
| 150 | | 12.5- आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन। | 30 |
| 151 | | 12.6- मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना। | 10 |
| 152 | | 12.7 प्रदेश में संचालित निजी उपचारग्रह/रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओ का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन” | 30 |
| 153 | | 12.8 - प्रदेश में संचालित निजी उपचारग्रह/रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओ के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण. | 30 |
| 154 | | 12.9- चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना | 1 |
| 155 | | 12.10- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड प्रदान करना | 15 |
| 156 | किसान कल्याण | 13.1- रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना। | 30 |
| 157 | | 13.2- रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण। | 30 |
| 158 | | 13.3- उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञापति जारी करना। | 45 |
| 159 | | 13.4- उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञापति का नवीनीकरण करना। | 45 |
| 160 | | 13.5- मिट्टी नमूना परीक्षण | 30 |
| 161 | | 13.6- बीज नमूना परीक्षण (सर्विस सेम्पल) | 60 |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 162 | माहिला बाल विकास | 14.1- लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना। | 30 |
| 163 | | 14.2- पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना। | 7 |
| 164 | परिवहन | 15.1- लनिंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना। | 10 |
| 165 | | 15.2- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना। | 15 |
| 166 | | 15.3- वाहन पंजीयन | 30 |
| 167 | | 15.4- लनिंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना | 7 |
| 168 | | 15.5- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना | 7 |
| 169 | | 15.6- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण | 7 |
| 170 | | 15.7- ड्रायविंग लायसेंस जारी करना | 15 |
| 171 | | 15.8- डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस जारी करना | 15 |
| 172 | | 15.9- ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण | 15 |
| 173 | | 15.10 मंजिली गाड़ी के लिए अस्थाई परमिट जारी करना। | 15 |
| 174 | | 15.11- मंजिली गाड़ी के लिए स्थाई परमिट जारी करना। | 30 |
| 175 | | 15.12- डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड | 7 |
| 176 | | 15.13- मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण | 30 |
| 177 | | 15.14- स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना | 15 |
| 178 | | 15.15- वाहन पंजीयन के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना | 30 |
| 179 | | 15.16- लायसेंस के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना | 7 |
| 180 | | 15.17- वाहन पंजीयन का नवीनीकरण | 15 |
| 181 | | 15.18- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 59 के अंतर्गत पता परिवर्तन करना | 7 |
| 182 | | 15.19- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 60 के अंतर्गत भाड़ा करार दर्ज करना | 7 |
| 183 | | 15.20-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 61(1) के अंतर्गत भाड़ा करार निरस्त करना | 7 |
| 184 | पचायत एव ग्रामीण विकास | 16.2- अद्यतन बी.पी.एल. सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना (ग्रामीण क्षेत्र) | 2 |
| 185 | | 16.3 (अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहां तकनीकी रूप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना। (ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय। | 7 |
| 186 | | 16.4- ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रेडिंग करना। | 30 |
| 187 | | 16.5- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण | 60 |
| 188 | | 16.6- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर लायसेंस का नवीनीकरण | 60 |
| 189 | | 16.7- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी विकास के लिए अनुज्ञा | 60 |
| 190 | | 16.8- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र | 45 |
| 191 | | नगरीय आवास एवं पर्यावरण | 17.1- अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी |
| 192 | 17.2- अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी | | 7 |
| 193 | 17.3- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मिलित। | | 45 |
| 194 | 17.4- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मिलित। | | 45 |
| 195 | 17.5- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निज भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी। | | 20 |
| 196 | 17.6- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति / आपत्ति प्रदाय करना। | | 20 |
| 197 | 17.7- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त ब्रह्म/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति. | | 45 |
| 198 | 17.8- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त ब्रह्म/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति. | | 45 |
| 199 | 17.9- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में लघु श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण | | 45 |
| 200 | 17.10- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में ब्रह्म एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण | | 45 |
| 201 | 17.11- लाल/नारंगी / हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों5 की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर) | 45 | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 202 | | 17.12- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्मति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसार्इकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर) | 45 |
| 203 | | 17.13- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसार्इकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर) | 45 |
| 204 | | 17.14- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मति | 45 |
| 205 | | 17.15- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्मति | 45 |
| 206 | | 17.16- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्टन नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार | 45 |
| 207 | | 17.17- 200 बिस्तीर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्था न तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार | 45 |
| 208 | | 17.18- 200 बिस्तीर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान पेट्रोलॉजी, ब्लागड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीमिनिक एवं अन्यत चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्टन नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण | 45 |
| 209 | | 17.19- नगरीय ठोस अपशिष्टा नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार | 45 |
| 210 | | 17.20- नगरीय ठोस अपशिष्टा नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण | 45 |
| 211 | याजना आर्थिक एवं संखिकीय | 18.1- जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र | 45 |
| 212 | | 18.2- मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र | 7 |
| 213 | | 18.3- जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति | 15 |
| 214 | | 18.4- मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति | 15 |
| 215 | | 18.5- जन्म प्रमाण पत्र | 15 |
| 216 | | 18.6- मृत्यु प्रमाण पत्र | 15 |
| 217 | | 18.7- विवाह पंजीयन | 30 |
| 218 | | 18.8 - जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना | 7 |
| 219 | | वित्त विभाग | 19.1 पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन/ जिला पेंशन कार्यालय भेजना। |
| 220 | 19.2- पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण में वाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी करना। | | 30 |
| 221 | 19.3- पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय आधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान। | | 30 |
| 222 | वाणज्य उद्योग एवं रोजगार | 20.1- गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति | 15 |
| 223 | | 20.2- परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति | 15 |
| 224 | | 20.3- टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु) | 15 |
| 225 | | 20.4- रोजगार कार्यालय में पंजीयन | 1 |
| 226 | | 20.5- रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण | 1 |
| 227 | | 20.6- माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना। | 1 |
| 228 | | 20.7- चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। | 3 |
| 229 | | 20.8- म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / आईआईडीसी /एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु - आशय पत्र जारी करना | 15 |
| 230 | | 20.9- म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / आईआईडीसी /एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु - आवंटन आदेश जारी करना | 7 |
| 231 | | 20.10 - म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / आईआईडीसी /एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु - पट्टा अभिलेख का निष्पादन | 30 |
| 232 | | 20.11 - म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / आईआईडीसी /एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु - आधिपत्य प्रदान करना | 7 |
| 233 | | 20.12- .प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों / आईआईडीसी के अधीन नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति | 30 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 234 | (अ)- आशय पत्र जारी करना 20.13- वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु सिद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार) | 3 |
| 235 | (ब)- प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण 20.14 - वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण | 60 |
| 236 | 20.15- वेट/जीएसटी अंतर्गत वितरण (दिनांक 01/07/2017 से जीएसटी प्रणाली अंतर्गत प्रतिपूर्ति) | 60 |
| 237 | 20.16- ब्रह्म श्रेणी की टेक्सटाइल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान | 45 |
| 238 | 20.17- अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु) | 45 |
| 239 | 20.18- औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता | 45 |
| 240 | 20.19- ब्रह्म श्रेणी इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकरण) | 45 |
| 241 | उच्च शिक्षा 21.1- नामांकन/ माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना | 3 |
| 242 | 21.2- प्रोवीजनल उपाधि/ डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना। | 2 |
| 243 | 21.3- अंकसूची में सुधार/ नाम/ उपनाम (सरनेम) सुधार करना। | 2 |
| 244 | 21.4- शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गये समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना। | 15 |
| 245 | 21.5- शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना। | 180 |
| 246 | 21.6- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन | 5 |
| 247 | 21.7- काशनमनी की वापसी | 5 |
| 248 | 21.8- स्थानांतरण प्रमाण पत्र | 5 |
| 249 | 21.9- चरित्र प्रमाण पत्र | 5 |
| 250 | 21.10- दस्तावेजों का सत्यापन | 5 |
| 251 | खाद्य एवं औषधि 22.1- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां जारी करना। | 3 |
| 252 | 22.2- केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करना। | 45 |
| 253 | 22.3- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत अधिकतम 10 उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना । | 3 |
| 254 | 22.4- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना । | 15 |
| 255 | 22.5- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंस में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना। | 5 |
| 256 | 22.6- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंस में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना। | 15 |
| 257 | 22.7- भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना। | 3 |
| 258 | 22.8- भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना। | 15 |
| 259 | 22.9- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना। | 30 |
| 260 | 22.10- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त खरची औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना । | 30 |
| 261 | 22.11- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना | 30 |
| 262 | 22.12- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त खरची एवं थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना । | 30 |
| 263 | 22.13- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त सीमित औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना । | 30 |
| 264 | 22.14- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति की अनुलिपि जारी करना । | 15 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|--|----------|
| 265 | | 22.15- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को अ) अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करना ब) अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करना (उत्पादों की सूची के साथ) | 15 30 |
| 266 | | 22.16- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एम के अनुपालन में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जीएमपी प्रमाण पत्र जारी करना। | 30 |
| 267 | | 22.17-औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को फ्री सेल्स प्रमाण पत्र जारी करना। | 15 |
| 268 | | 22.18-औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची के अनुपालन में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जीएलपी प्रमाण पत्र जारी करना। | 15 |
| 269 | | 22.19-राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को अ) मार्केट स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना। ब) मार्केट स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना।(उत्पादों की सूची के साथ) | 15 30 |
| 270 | | 22.20-केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 75(1) के अंतर्गत राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति जारी करना | 45 |
| 271 | | 22.21-केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 75(1) के अंतर्गत राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना | 60 |
| 272 | पर्यटन | 23.1- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति की कंडिका 6 के तहत परियोजना की स्थापना एवं विस्तार हेतु पूंजीगत व्यय पर अनुदान। | 45 |
| 273 | सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम विभाग | 24.1- एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत टर्मलोन पर ब्याज अनुदान सहायता की स्वीकृति | 30 |
| 274 | | 24.2- एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत पूंजी अनुदान सहायता की स्वीकृति | 30 |
| 275 | | 24.3 एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति | 30 |
| 276 | | 24.4 एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत प्रवेश कर छुट की स्वीकृति | 30 |
| 277 | | 24.5- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का परिक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना | 15 |
| 278 | | 24.6- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 15 |
| 279 | मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल | 25.1 - एम्.बी.बी.एस.मेडिकल कोर्स उपरांत प्रोविजनल पंजीयन | 30 |
| 280 | | 25.2- एम्.बी.बी.एस.मेडिकल कोर्स उपरांत स्थायी पंजीयन | 30 |
| 281 | | 25.3- अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का म.प्र. में रेसीप्रोकल पंजीयन | 30 |
| 282 | | 25.4- प्रोविजनल पंजीयन की डुप्लिकेट प्रति | 15 |
| 283 | | 25.5- स्थायी एवं रेसीप्रोकल पंजीयन की डुप्लिकेट प्रति | 15 |
| 284 | | 25.6- अन्य राज्य में पंजीयन कराने हेतु अत्रापत्ति प्रमाण पत्र NOC | 15 |
| 285 | मध्यप्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल | 26.1- बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए कोर्स पश्चात नवीन पंजीयन | 30 |
| 286 | | 26.2- बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए पंजीयन का नवीनीकरण | 15 |
| 287 | | 26.3- योग्य डी.एम. डी.एच एवं डोरा के लिए नया पंजीकरण करना | 30 |
| 288 | | 26.4- पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना | 15 |
| 289 | | 26.5- डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना | 15 |
| 290 | | 26.6- परिषद् से गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना | 15 |
| 291 | | 26.7- अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना | 30 |
| 292 | | 26.8- उपनाम संशोधन का पंजीकरण करना | 15 |
| 293 | | 26.9- (तत्काल सेवा) बी.डी.एस. दन्त चिकित्सकीय स्नातकों के लिए कोर्स पश्चात नवीन पंजीयन | 3 |
| 294 | | 26.10- (तत्काल सेवा) बी.डी.एस. दन्त चिकित्सक के पंजीयन का नवीनीकरण | 3 |
| 295 | | 26.11- (तत्काल सेवा) योग्य डी.एम. डी.एच एवं डोरा के लिए नया पंजीकरण करना | 3 |
| 296 | | 26.12- (तत्काल सेवा) पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना | 3 |
| 297 | | 26.13- (तत्काल सेवा) डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना | 3 |
| 298 | | 26.14- (तत्काल सेवा) परिषद् से गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना | 3 |
| 299 | | 26.15- (तत्काल सेवा) अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना | 3 |
| 300 | | 26.16- (तत्काल सेवा) उपनाम संशोधन का पंजीकरण करना | 3 |
| 301 | पेरामेडिकल काउंसिल | 27.1- पेरामेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन | 90 |
| 302 | | 27.2- तत्काल पंजीयन | 3 |
| 303 | | 27.3- पंजीयन का नवीनीकरण | 45 |
| 304 | | 27.4- अन्य प्रदेश में कार्य के लिए NOC (No Objection Certificate) | 30 |
| 305 | | 27.5- माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन | 30 |
| 306 | | 27.6- डुप्लिकेट मार्कशीट | 30 |
| 307 | | 27.7- मार्कशीट में त्रुटि का सुधार | 30 |

| | | | |
|-----|---|--|----|
| 308 | | 27.8- उपाधि प्रमाण-पत्र | 7 |
| 309 | | 27.9- गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट | 7 |
| 310 | | 27.10- डुप्लीकेट पंजीयन | 30 |
| 311 | | 27.11- तत्काल पंजीयन का नवीनीकरण | 3 |
| 312 | मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल | 28.1- ए.एन.एम्. कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 313 | | 28.2- जी.एन.एम्. कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 314 | | 28.3- बी.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 315 | | 28.4- पो. बेसिक बी.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 316 | | 28.5- एम्.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 317 | | 28.6- प्रोमोटो ट्रे एल.एच.व्ही. कोर्स पश्चात पंजीयन | 45 |
| 318 | | 28.7- पो.बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा | 45 |
| 319 | | 28.8- ए.एन.एम्. कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण | 15 |
| 320 | | 28.9- जी.एन.एम्. कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण | 15 |
| 321 | | 28.10- बी.एस.सी. (न) कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण | 15 |
| 322 | | 28.11- पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति | 45 |
| 323 | | 28.12- ए.एन.एम्. जी.एन.एम्. के लिए माइग्रेशन लेटर | 7 |
| 324 | | 28.13- जी.एन.एम्. से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. के लिए माइग्रेशन लेटर | 7 |
| 325 | | 28.14- ए.एन.एम्. की मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति | 7 |
| 326 | | 28.15- जी.एन.एम्. की मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति | 7 |
| 327 | आयुष विभाग | 29.1- आयुष चिकित्सक का पंजीयन | 90 |
| 328 | | 29.2- आयुष चिकित्सक का प्रोविजनल पंजीयन | 30 |
| 329 | | 29.3- अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिए NOC | 30 |
| 330 | | 29.4- होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना | 30 |
| 331 | | 29.5- आयुर्वेदिक औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करना | 30 |
| 332 | म.प्र. स्टेट फार्मसी कौंसिल | 30.1- डी. फार्मा/बी फार्मा/फार्म डी के पश्चात् फार्मसी के लिए पंजीयन | 60 |
| 333 | | 30.2- फार्मसी के पंजीयन का नवीनीकरण | 60 |
| 334 | | 30.3- एन.ओ.सी. जारी करना | 30 |
| 335 | | 30.4- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जोड़ने बावत | 30 |
| 336 | | 30.5- पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्रदाय करना | 60 |
| 337 | म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड | 31.1- हम्माल (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 338 | | 31.2- तुलावती (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 339 | | 31.3- व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 340 | | 31.4- पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 341 | | 31.5- प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 342 | | 31.6- फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 343 | | 31.7- फल-सब्जी पक्का आढ़तिया/कमीशन एजेंट (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 344 | | 31.8- फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति प्रदान करना | 42 |
| 345 | | 31.9- हम्माल (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 346 | | 31.10- तुलावती (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 347 | | 31.11- व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 348 | | 31.12- पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 349 | | 31.13- प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 350 | | 31.14- फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 351 | | 31.15- फल-सब्जी पक्का आढ़तिया/कमीशन एजेंट (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 352 | | 31.16- फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञापति का नवीनीकरण | 42 |
| 353 | | 31.17- मुख्य मंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 a. दुर्घटना मृत्यु होने पर 4.00 लाख (चार लाख मात्र) b. दुर्घटना में स्थाई अपंगता 1,00,000/- (एक लाख मात्र) c. दुर्घटना में अंग भंग होने से आंशिक अपंगता - 5000/- (पचास हजार मात्र) c. अन्त्येष्टि अनुदान 4000/- (चार हजार मात्र) | 30 |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| 354 | | 31.18-मुख्यमंत्री मंडी हमाल एवं तुलावटी सहायता योजना-2008 (संशोधित वर्ष 2014) a. प्रसूति अवकाश सहायता एवं प्रसूति व्यय सहायता b. चिकित्सा सहायता c. प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता d. विवाह सहायता e. बीमा सहायता f. शिक्षावृत्ति g. अत्येष्टि सहायता | 42 |
| 355 | लोक निर्माण विभाग | 32.1- विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राईट ऑफ वे में खुदाई/रोड़ काटिंग की अनुमति | 15 |
| 356 | | 32.2- टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राईट ऑफ वे में खुदाई/रोड़ काटिंग की अनुमति | 15 |
| 357 | | 32.3 ठेकदार का पंजीयन | 15 |
| 358 | आबकारी विभाग | 33.1- औषध विनिर्माण के लिए एल -1 लाइसेंस | 7 |
| 359 | | 33.2- औषध विनिर्माण के लिए एल -2 लाइसेंस | 7 |
| 360 | नाप तोल विभाग | 34.1- नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं। (ख) नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए | 7 7 |
| 361 | | 34.2- पेट्रोल, डीजल पंप का मूल मुद्रांकन | 15 |
| 362 | | 34.3- फ्लो (प्रवाह) मीटर का मूल मुद्रांकन | 15 |
| 363 | | 34.4- ऑटो रिक्शा/टेक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन | 7 |
| 364 | | 34.5- सी.एन.जी./एल.पी.जी. डिस्पेंसर/पंप का मूल मुद्रांकन | 15 |
| 365 | | 34.6- स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन | 15 |
| 366 | | 34.7- नाप-तौल उपकरणों का पुनर्सत्यापन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं। (ख) नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए | 7 15 |
| 367 | | 34.8- पेट्रोल, डीजल पंप का पुनः सत्यापन करना | 15 |
| 368 | | 34.9- फ्लो (प्रवाह) मीटर का पुनः सत्यापन करना | 15 |
| 369 | | 34.10- ऑटो रिक्शा/टेक्सी मीटर का पुनः सत्यापन करना | 15 |
| 370 | | 34.11- सी.एन.जी./एल.पी.जी. डिस्पेंसर/पंप का पुनः सत्यापन करना | 15 |
| 371 | | 34.12- स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन करना | 15 |
| 372 | | 34.13- नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी | 45 |
| 373 | | 34.14- निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण | 45 |
| 374 | | 34.15- नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी | 30 |
| 375 | | 34.16- विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण | 15 |
| 376 | | 34.17- नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी | 30 |
| 377 | | 34.18- सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण | 15 |
| 378 | | 34.19- पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन | 7 |
| 379 | सहकारिता विभाग | 35.1- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना | 30 |
| 380 | | 35.2- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण | 30 |
| 381 | | 35.3- नवीन सहकारी संस्था का पंजीयन | 45 |
| 382 | | 35.4- फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना | 30 |
| 383 | कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं | 36.1- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 7) | 20 |
| 384 | | 36.2- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नियमावली में संसोधन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13) | 20 |
| 385 | | 36.3- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 59) | 20 |
| 386 | | 36.4- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन फर्म नाम से और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख धारा (60) | 30 |
| 387 | | 36.5- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना धारा (61) | 30 |
| 388 | | 36.6- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना धारा (62) | 30 |
| 389 | | 36.7- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन फर्म तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन धारा (63) | 30 |
| 390 | | 36.8- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन भूतलों का परिशोधन धारा (64) | 30 |
| 391 | | 36.9- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण धारा (66) | 30 |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 392 | | 36.10- भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन प्रतियों का दिया जाना धारा (67) | 30 |
| 393 | म.प्र. ट्रॉयफेक | 37.1- औद्योगिक इकाइयों के लिए जल का आबंटन | 15 |
| 394 | म.प्र. संचालक वाष्पयंत्र | 38.1- बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन | 30 |
| 395 | | 38.2- बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत बायलर का निरीक्षण | 17 |
| 396 | | 38.3- भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता ईकाइयों का अनुमोदन | 30 |
| 397 | | 38.4- भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शन कर्ता ईकाइयों का अनुमोदन | 30 |
| 398 | तकनीकी शिक्षा विभाग | 39.1- उपाधि प्रमाण पत्र | 15 |
| 399 | | 39.2- डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र /अंकसूची | 15 |
| 400 | | 39.4- अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र | 15 |
| 401 | | 39.5- माइग्रेशन प्रमाण पत्र | 3 |
| 402 | | 39.6- ट्रांसक्रिप्ट | 15 |
| 403 | | 39.6- अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार | 15 |
| 404 | | 39.7- सनात्कोत्तर परीक्षाओं हेतु प्रस्तुत करने के उपरांत परीक्षकों की नियुक्ति | 15 |
| 405 | | 39.8- अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर दिया जाना समतुल्यता प्रमाण पत्र | 15 |
| 406 | | 39.9- डाक्टर ऑफ फिलोसोफी वायवा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति | 30 |
| 407 | | 39.10- डाक्टर ऑफ फिलोसोफी की उपाधि हेतु वायवा (मौखिक परीक्षा) उपरांत अधिसूचना जारी किया जाना | 15 |
| 408 | | 39.11- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन | 15 |
| 409 | | 39.12- काशनमनी की वापसी | 15 |
| 410 | | 39.13- स्थानांतरण प्रमाण पत्र | 15 |
| 411 | | 39.14- चरित्र प्रमाण पत्र | 15 |
| 412 | | 39.15- दस्तावेजों का सत्यापन | 3 |
| 413 | | 39.16- संस्थान स्तर पर ब्रांच (शाखा) में बदलाव के लिए छात्रों के आवेदन पर निर्णय | 15 |
| 414 | जल संसाधन | 40.1- प्राकृतिक/शासकीय स्त्रोत से औद्योगिक इकाइयों हेतु जल आबंटन | 60 |
| 415 | माध्यमिक शिक्षा मंडल (स्कूल शिक्षा विभाग) | 41.1- डुप्लीकेट मार्कशीट | 15 (3 वर्ष तक) 30 (3 वर्ष से अधिक) |
| 416 | | 41.2- अंकसूची में संशोधन | नाम उपनाम में संशोधन - 15/30 जन्म तिथि में सुधार - 60 |
| 417 | | 41.3- उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना | परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय सीमा नियत है। |
| 418 | | 41.4- उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियां उपलब्ध कराना | परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय सीमा नियत है। |
| 419 | मदरसा बोर्ड (स्कूल शिक्षा विभाग) | 42.1- मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता | 45 |
| 420 | | 42.2- मदरसा मान्यता का नवीनीकरण | 45 |
| 421 | | 42.3- समिति का पंजीयन | 45 |
| 422 | | 42.4- समिति का नवीनीकरण | 45 |
| 423 | वाणिज्य कर विभाग | 43.1- वेट अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना | 1 |
| 424 | | 43.2- वृत्ति कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना | 1 |
| 425 | पंजीयन एवं मुद्रांक | 44.1 - दस्तावेजों को पंजीयन | 24 घंटे |
| 426 | | 44.2- दस्तावेजों को नकल प्रदाय करना (ई-पंजीकृत दस्तावेज) | तत्काल |
| 427 | | 44.3- दस्तावेजों को नकल प्रदाय करना (भौतिक रूपण पंजीकृत दस्तावेज) | 7 |

| | | | |
|-----|--------------------------|--|----|
| 428 | खनिज विभाग | 44.1 - रायल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट | 30 |
| 429 | | 44.2 - उत्खनन अनुज्ञा प्रमाण पत्र (अस्थायी अनुज्ञा पत्र) | 15 |
| 430 | | 44.3 - पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों में 500 मीटर तक अन्य खदान न हो एवं अन्य जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र | 15 |
| 431 | | 44.4 - प्रदेश में कृषकों, ग्रामीणों कारीगरों और श्रमिकों को निवास/गृह सुधार कुओं के निर्माण एवं मरम्मत तथा अन्य कृषि कार्य के लिए गौण खनिज हेतु अभिवहन पास जारी करना | 15 |
| 432 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 45.1- भूमि आवंटन आवेदनों का निराकरण | 60 |
| 433 | | 45.2- आई.टी. प्रमाण पत्र के आवेदनों का निराकरण | 60 |
| 434 | | 45.3- पूंजी निवेश अनुदान का निराकरण | 60 |
| 435 | | 45.4- ब्याज अनुदान का निराकरण | 60 |
| 436 | | 45.5- कुशलता अन्तराल प्रशिक्षण व्यय अनुदान का निराकरण | 60 |
| 437 | | 45.6- प्रदर्शनियों/आयोजनों पर व्यय अनुदान का निराकरण | 45 |
| 438 | | 45.7- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का निराकरण | 45 |
| 439 | | 45.8- ऐसे समस्त भुगतान जो अनुबंधित कार्यों/क्रय /सेवाओं से इतर हो | 45 |
| 440 | उद्यानिकी विभाग | 46.1- फल-पौध रोपणों की अनुज्ञाप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण | 15 |
| 441 | | 46.2- बीज/अधिनियम 1983 के अंतर्गत अनुज्ञाप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना | 15 |
| 442 | मत्स्य विभाग | 47.1- मत्स्य बीज उत्पादन हेतु संकुलर हेचरी की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना | 7 |
| 443 | | 47.2- तालाबों में एरियेटर की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना | 7 |
| 444 | | 47.3- मत्स्य बीज संवर्धन की इकाई स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना | 7 |
| 445 | | 47.4- पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त पट्टा आवंटन के प्रस्ताव पर हितग्राही की प्राथमिकता का निर्धारण करना | 15 |
| 446 | | 47.5- मछुआ सहकारी समितियों के गठन पश्चात पंजीयन हेतु अनुशंसा करना | 15 |